

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संचिका सं०-12/वि०-127/2024-

783

पटना, दिनांक- 28.5.25

विषय: फर्म M/S G.L.R TRADERS & INDUSTRIES IM JAGDISH LOK APARTMENT, WEST BOARING CANAL ROAD PATNA, Pin-800001 (सूचीबद्धता संख्या-210/2017) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट अंतर्गत बौसी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन तथा परिचालन एवं रख-रखाव के कार्य में शिथिलता हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में फर्म को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत फर्म M/S G.L.R TRADERS & INDUSTRIES IM JAGDISH LOK APARTMENT, WEST BOARING CANAL ROAD PATNA, Pin-800001 (सूचीबद्धता संख्या-210/2017) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट अंतर्गत बौसी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव कार्य हेतु एकरारनामा संख्या-SBD-10/2018-19 के तहत कार्य आवंटित किया गया था। आवंटित कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15.08.2020 एवं स्वीकृत समयवृद्धि दिनांक-30.04.2021 थी।

कृत एकरारनामा के तहत ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के पत्रांक-3536 दिनांक-31.10.2019 पत्रांक-3823 दिनांक-23.10.2019, पत्रांक-3855 दिनांक-26.11.2019, पत्रांक-3919 दिनांक-29.11.2019, पत्रांक-3658 दिनांक-09.11.2019, पत्रांक-4328 दिनांक-31.12.2019, पत्रांक-245 दिनांक-20.01.2020, पत्रांक-319 दिनांक-24.01.2020, पत्रांक-385 दिनांक-01.02.2020, पत्रांक-1607 दिनांक-26.05.2020, पत्रांक-2962 दिनांक-15.10.2020, पत्रांक-1091 दिनांक-25.26.2021, पत्रांक-1320 दिनांक-30.07.2021, पत्रांक-3004 दिनांक-10.09.2021, पत्रांक-1664 दिनांक-26.08.2022, पत्रांक-1809 दिनांक-12.09.2022, पत्रांक-2065 दिनांक-18.10.2022 पत्रांक-2197 दिनांक-05.11.2022, पत्रांक-2374 दिनांक-02.12.2022 पत्रांक-831 दिनांक-02.06.2023, पत्रांक-1130 दिनांक-25.07.2023 के माध्यम से फर्म को निदेशित एवं स्मारित किया गया। परन्तु कार्य संपादन में फर्म के द्वारा अभिरुची नहीं ली गई। उक्त स्थिति में आवश्यक मानव बल एवं मशीनरी का प्रयोग कर अवयववार कार्य पूर्ण करने हेतु अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर के ज्ञापांक-145 दिनांक-27.01.2020 एवं पत्रांक-38 दिनांक-11.01.2020 के द्वारा फर्म को निदेशित किया गया। परन्तु फर्म उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे।

पुनः कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक के प्रतिनिधि के साथ दिनांक-16.02.2023 को समीक्षा बैठक की गई एवं अवयववार कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु फलाफल शून्य रहा। उक्त के स्थिति में कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के द्वारा पत्रांक-1870 दिनांक-28.09.2024 के माध्यम से फर्म के सूचीबद्धता संख्या-210/2017 को काली सूची में सम्बद्ध करने हेतु अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर को प्रतिवेदित किया गया। तदोपरांत अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल भागलपुर के

पत्रांक-1082 दिनांक-04.10.2024 के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर को उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई। तदक्रम में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर के पत्रांक-667 दिनांक-07.10.2024 के माध्यम से बिहार ठिकंदारी निबंधन नियमावली 2007 के संगत प्रावधानों के तहत फर्म को काली सूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया।

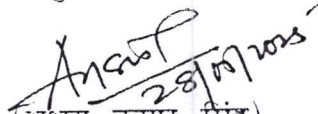
क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-404 दिनांक-28.05.2024 के माध्यम से फर्म को सुसंगत साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया जिसके क्रम में फर्म के द्वारा प्रश्नगत मामले में बिंदुवार स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। फर्म से प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेखित बिंदुओं के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के द्वारा अपने पत्रांक-2376 दिनांक-26.12.2024 के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करते हुए अपने मंतव्य के साथ यह संसूचित किया गया कि फर्म से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन तदोपरांत फर्म से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के मंतव्य की सम्यक समीक्षा की गई एवं पाया गया कि एकरारनामा के अनुरूप कार्य करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गए निदेश का फर्म के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है एवं कार्य के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया है। फर्म के द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने एवं विभागीय निदेशों की निरंतर उपेक्षा के कारण योजना का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठिकंदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (क) (ii) 'एकरारनामा में विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक' हेतु फर्म M/S G.L.R TRADERS & INDUSTRIES IM JAGDISH LOK APARTMENT, WEST BOARING CANAL ROAD PATNA, Pin-800001 (सूचीबद्धता संख्या-210/2017) को 05 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज किया जाता है।

इस पर अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)का अनुमोदन प्राप्त है।

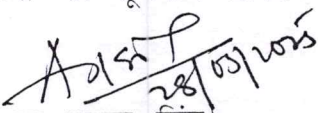
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-127/2024- 783 पटना, दिनांक-28.5.25

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना /बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-127/2024- 783

पटना, दिनांक- 28.5.25

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Anant
28/05/2025
(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पटना, दिनांक- 28.5.25

Speed Post

ज्ञापांक-12/वि0-127/2024- 783

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट/फर्म M/S G.L.R TRADERS & INDUSTRIES IM JAGDISH LOK APARTMENT, WEST BOARING CANAL ROAD PATNA, Pin-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Anant
28/05/2025
(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पटना, दिनांक- 28.5.25

ज्ञापांक-12/वि0-127/2024- 783

प्रतिलिपि-आईटी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Anant
28/05/2025
(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पटना, दिनांक- 28.5.25

ज्ञापांक-12/वि0-127/2024- 783

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

Anant
28/05/2025
(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)